उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

2021 की आपराधिक अपील संख्या 8

1. नरेन्द्र (पुरुष) उम्र लगभग 34 वर्ष
   पुत्र नरेश बाल्मीकि, निवासी ताशीपुर, थाना मंगलौर
   जिला हरिद्वार, उत्तराखंड
2. प्रवीण बाल्मीकि, उम्र लगभग 31 वर्ष
   निवासी ऋषिनगर, नई बस्ती,रामनगर
   थाना गंगनहर जिला हरिद्वार

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंडराज्य .....प्रतिवादी

श्री एमएस पाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सु**श्री** द्वारा सहायता प्राप्त।
चरणजीत कौर, अपीलकर्ताओं के लिए वकील।
श्री सुभाष त्यागी भारद्वाज, विद्वान उप. वकील
सु**श्री** शिवांगी गंगवार के साथ जनरल, विद्वान ब्रीफ होल्डर
राज्य के लिए.

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

यह अपील विशेष न्यायाधीश/तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा 2009 के एसएसटी नंबर 11, राज्य बनाम प्रवीण बाल्मीकि और अन्य में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 18.02.2019 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उक्त अदालत ने दोषी ठहराया है । अपीलकर्ता प्रवीण बाल्मीकि और नागेंद्र को यूपी गैंगस्टर्स और एंटी सोशल (रोकथाम) गतिविधियां अधिनियम,

1986 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2/3 के तहत 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया। . 10,000/-, जिसका भुगतान न करने पर अभियुक्त/अपीलार्थी को अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि मुखबिर प्रभारी निरीक्षक श्री बी.एस. चौहान ने कथनानुसार रिपोर्ट दी कि दिनांक 24.07.2008 को जब वह कांस्टेबल संदीप कुमार तथा कांस्टेबल रवि पंत के साथ गश्त ड्यूटी पर थे, तो उन्हें ग्रामीणों द्वारा सूचित किया गया था। प्रवीण बाल्मीकि का गिरोह सक्रिय है, जो इसका नेता है, जो अपने सहयोगियों सुशील, नरेंद्र और पप्पू (वर्तमान आरोपी/अपीलकर्ता) की मदद से चलता है। यह गिरोह डकैती, हत्या, जबरन वसूली आदि जैसे अपराधों को अंजाम देने में शामिल रहा है और उनके कृत्य के कारण समाज में आतंक है और इसलिए, किसी ने भी गिरोह के सदस्य के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की या कोई सबूत नहीं दिया। . अभियुक्त सुशील के विरूद्ध गैंग चार्ट (प्र. A1) में प्रकरण अपराध क्रमांक. 2008 की धारा 125, धारा 302 के तहत/ 307 , 506 , 34 व 120बी आईपीसी , मुकदमा अपराध क्रमांक. 2005 की धारा 147 , 148 , 149 , 302 , 34 आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध क्र. 54/2000 धारा 302 एवं 120बी आईपीसी के तहत प्रवीण बाल्मीकि (वर्तमान अपीलकर्ता) के विरुद्ध मुकदमा अपराध क्रमांक. 125 सन् 2008 की धारा 302 / 307 , 506 , 34 व 120बी आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध क्रमांक. 2006 की धारा 392 , 411 , 120 बी के तहत 291आईपीसी, मुकदमा अपराध क्रमांक. 77/2006 धारा 302 आईपीसी एवं मुकदमा अपराध क्रमांक. 372/2006 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत नरेन्द्र (वर्तमान अपीलकर्ता) के विरुद्ध मुकदमा अपराध क्रमांक. 125 सन् 2008 की धारा 302 / 307 , 506 , 34 व 120बी आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध

क्रमांक. 298 सन् 2007 की धारा 308 आईपीसी के तहत एवं आरोपी पप्पू के विरूद्ध मुकदमा अपराध क्र. धारा 302/307 , 506 , 34 और 120 बी आईपीसी के तहत 2008 का 125 और धारा 147 , 148 , 149 के तहत 2005 का मामला अपराध संख्या 107 ,थाना कोतवाली गंगनहर, रूड़की, लक्सर व मंगलौर में 302 , 34 आईपीसी पंजीकृत हैं।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर (उदा. ए4) दर्ज की गई और मामला अपराध क्रमांक. 211/2008 अधिनियम की धारा 2/3 के तहत पंजीकृत किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गैंग चार्ट की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं विवेचना पूर्ण होने पर विवेचनाधिकारी द्वारा वर्तमान अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम की धारा 2/3 के तहत आरोप तय किया, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

4. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों की जांच की, अर्थात्, पीडब्लू 1 इंस्पेक्टर बहादुर सिंह चौहान, (शिकायतकर्ता) पीडब्लू 2 सचिन (एक अन्य मामले में मुखबिर) पीडब्लू 3 उप-निरीक्षक दिनेश कुमार (मामले अपराध के जांच अधिकारी) संख्या 231 ऑफ 2006), पीडब्लू 4 शहजाद (दूसरे मामले का शिकायतकर्ता) पीडब्लू 5 इंस्पेक्टर विजय चंद्र सिंह गुसाईं (मामले अपराध संख्या 211 ऑफ 2008 के जांच अधिकारी), पीडब्लू 6 स्वयंवर सिंह रौतेला, पीडब्लू 7 एसआई भूपेन्द्र मेहता, पीडब्लू 8 विपक्ष। संदीप कुमार, PW9 विकास कुमार सालार, और PW10 अतुल कुमार।

5. आरोपियों के सामने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य रखे गए, जिसके जवाब में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें

मामले में झूठा फंसाया गया है. अभियुक्त प्रवीण बाल्मीकि ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में विशेष रूप से कहा है कि मामले में अपराध क्रमांक. 2006 का 77 और मुकदमा अपराध क्रमांक. 231 ऑफ़ 2006 में उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया है। हालाँकि, बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट ने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे आरोपियों के अपराध को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और तदनुसार उन्हें दोषी ठहराया है। आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

6. पीडब्लू1 बीएस चौहान, निरीक्षक, शिकायतकर्ता ने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन के बाद गैंग चार्ट पर अपने हस्ताक्षर के साथ एफआईआर, गैंग चार्ट (उदा. ए1) के कथनों को साबित किया। अपनी जिरह में PW1 ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों में से किसी भी मामले में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का आरोप नहीं लगाया गया है। पीडब्लू 3 एसआई दिनेश कुमार मामले अपराध संख्या में जांच अधिकारी हैं। 231 का 2006, जिसने आरोप पत्र (पेपर नं. 7ka/21) साबित किया। अन्य मामलों में P.W4, PW2 और PW10 शिकायतकर्ता हैं। अन्य गवाह पीडब्ल्यू 1 के संस्करण की पुष्टि करते हैं, जिन्होंने लड़की की एफआईआर, आरोप पत्र आदि जैसे दस्तावेजों को भी साबित किया।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि आक्षेपित आदेश रिकॉर्ड पर साक्ष्य के महत्व के विरुद्ध है और कानून में खराब है। गैंग चार्ट में आरोपी प्रवीण को चार मामलों में बुक किया गया दिखाया गया है और आरोपी नागेंद्र को दो मामलों में बुक किया गया दिखाया गया है और कुछ मामलों में अपीलकर्ताओं को निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा कि एक गिरोह था और अपीलकर्ता

उसके सदस्य/नेता थे और ऐसा गिरोह ऐसी गतिविधियों में लिप्त था जो गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) के तहत निषिद्ध हैं।

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने संपूर्ण तथ्यों की उचित सराहना के बाद अपीलकर्ता को आरोपों के लिए दोषी ठहराया।

9. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

10. संबंधित तर्कों की योग्यता में प्रवेश करने से पहले अधिनियम की धारा 2 (बी) और (सी) को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा।

> (बी) "गिरोह" का अर्थ व्यक्तियों का एक समूह है, जो हिंसा, या धमकी या हिंसा का प्रदर्शन, या डराना, या जबरदस्ती या अन्यथा सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान करने या किसी अनुचित अस्थायी लाभ के उद्देश्य से अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करता है, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ, असामाजिक गतिविधियों में शामिल होना, अर्थात्-
>
> > (i) भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम संख्या 45) के अध्याय XVI या अध्याय XVII या अध्याय XXII के तहत दंडनीय अपराध, या
> >
> > (ii) उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किसी भी शराब, या नशीली या खतरनाक दवाओं, या अन्य नशीले पदार्थों या नशीले पदार्थों का आसवन या निर्माण या भंडारण या परिवहन या आयात या निर्यात या बिक्री या

वितरण करना या किसी पौधे की खेती करना। , 1910 (1910 का यूपी अधिनियम संख्या 4), या स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्या 61), या उस समय लागू कोई अन्य कानून, या

(iii) कानून के अनुसार अन्यथा अचल संपत्ति पर कब्ज़ा करना या कब्ज़ा करना, या अचल संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे के लिए झूठे दावे स्थापित करना, चाहे वह खुद का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, या

(iv) किसी लोक सेवक या किसी गवाह को उसके वैध कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना या रोकने का प्रयास करना, या

(v) महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 104) के तहत दंडनीय अपराध, या

(vi) सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 (1867 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध, या

(vii) किसी भी व्यक्ति को किसी भी पट्टे या अधिकार या माल की आपूर्ति या काम के लिए किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से कानूनी रूप से आयोजित नीलामी में बोली लगाने, या कानूनी रूप से आमंत्रित निविदा की पेशकश करने से रोकना। किया, या

(viii) किसी व्यक्ति द्वारा उसके वैध व्यवसाय, पेशे, व्यापार या रोजगार या उससे जुड़ी किसी अन्य वैध गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने से रोकना या परेशान करना, या

(ix) भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 171-ई के तहत दंडनीय अपराध, या मतदाता को उसके चुनावी अधिकारों का प्रयोग करने से शारीरिक रूप से रोककर, वैध रूप से आयोजित होने वाले किसी भी सार्वजनिक चुनाव को रोकने या बाधित करने में, या

(x) सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए दूसरों को हिंसा का सहारा लेने के लिए उकसाना, या

(xi) जनता में दहशत, अलार्म या आतंक पैदा करना, या

(xii) सार्वजनिक या निजी उपक्रमों या कारखानों के कर्मचारियों या मालिकों या कब्जाधारियों को आतंकित करना या उन पर हमला करना और उनकी संपत्तियों के संबंध में शरारत करना, या

(xiii) किसी व्यक्ति को गलत प्रतिनिधित्व पर विदेश जाने के लिए प्रेरित करना या प्रेरित करने का प्रयास करना कि उसे ऐसे विदेशी देश में कोई रोजगार, व्यापार या पेशा प्रदान किया जाएगा, या

(xiv) फिरौती वसूलने के इरादे से किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करना, या

(xv) किसी विमान या सार्वजनिक परिवहन वाहन को उसके निर्धारित मार्ग पर चलने से रोकना या अन्यथा रोकना;

(xvi) धन उधार विनियमन अधिनियम, 1976 के तहत दंडनीय अपराध;

(xvii) मवेशियों का अवैध रूप से परिवहन और/या तस्करी करना और गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्यों में लिप्त होना ;

(xviii) व्यावसायिक शोषण, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग निकालना और तस्करी, भिक्षावृत्ति और इसी तरह की गतिविधियों के लिए मानव तस्करी। (xix) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम , 1966 के तहत दंडनीय अपराध : (xx) नकली भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई, परिवहन और प्रसार;

(xxi) नकली दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण में शामिल होना;

(xxii) शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 5 , 7 और 12 के उल्लंघन में हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण, बिक्री और परिवहन में शामिल होना;

(xxiii) आर्थिक लाभ के लिए कटाई या हत्या, भारतीय वन अधिनियम , 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में उत्पादों की तस्करी ;

(xxiv) मनोरंजन और सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1979 के तहत दंडनीय अपराध;

(xvv) ऐसे अपराधों में लिप्त होना जो राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और यहां तक कि जीवन की गति को प्रभावित करते हैं।]

(सी) "गैंगस्टर" का अर्थ किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो खंड (बी) में उल्लिखित गिरोह की गतिविधियों को बढ़ावा देता है या सहायता करता है, चाहे ऐसी गतिविधियों के पहले या बाद में या किसी व्यक्ति को शरण देता हो जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हुआ है;

11. अब इस न्यायालय को यह जांच करनी है कि क्या अपीलकर्ताओं ने एक गिरोह बनाया था जो निषिद्ध गतिविधियों में शामिल था। PW1 के बयान से यह स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कोई आरोप नहीं लगाया गया है, जो दर्शाता है कि आरोपी-अपीलकर्ता किसी भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं हैं या किसी भी अपराध में शामिल नहीं हैं। आईपीसी के अध्याय XVI, XVII या XXII के तहत ., और थाने पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर गैंग चार्ट तैयार कराया गया. रिकार्ड में आया है कि अभियुक्त प्रवीण को मुकदमा अपराध संख्या 200 के संबंध में उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। 2006 का 77, मुकदमा अपराध क्रमांक. 2006 की धारा 372 एवं मुकदमा अपराध क्रमांक. 2006 की 231 और उसके खिलाफ केवल एक मामला बचा है यानी मामला अपराध संख्या। 2008 का 125 और इसी कारण से अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है। इसी तरह आरोपी नागेंद्र पर दो मामलों में मामला दर्ज दिखाया गया है, जिसके खिलाफ अपील लंबित है।

12. विद्वान ट्रायल जज ने शिकायतकर्ता, पीडब्लू1 इंस्पेक्टर बीएस चौहान द्वारा प्रस्तुत गैंग चार्ट के आधार पर गिरोह के गठन का निष्कर्ष दर्ज किया

है, जिसे विद्वान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित किया गया है और आरोपी-अपीलकर्ताओं को अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दोषी ठहराया गया है । . गैंग चार्ट एवं उसका पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमोदन इस बात का साक्ष्य नहीं है कि उसमें नामित अभियुक्तों ने भौतिक या वित्तीय लाभ के लिए संगठित अपराध करने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक गिरोह या गिरोह का सदस्य बनाया था। इसके अलावा विद्वान ट्रायल जज द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और इस संबंध में रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। धारा 2(बी)(सी) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर अधिनियम के अनुसार, अभियोजन अधिनियम की सामग्री को साबित करने में विफल रहा और अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में अवैधता की । एक या दो मामलों के लंबित रहने से अधिनियम की धारा 2/3 की सामग्री पूरी नहीं होती है ।

13. ट्रायल कोर्ट का फैसला रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं हुआ और अभियोजन दोषी अपीलकर्ताओं के खिलाफ तथ्य साबित करने में सफल नहीं रहा।

14. उपरोक्त के मद्देनजर, इस अदालत की दृढ़ राय है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपना मामला साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है या तो वे गिरोह के नेता थे या गिरोह के सदस्य थे या धारा 2 (बी) के तहत दंडनीय कोई अपराध किया था । (सी) अधिनियम के. ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और उन्हें सजा सुनाने में विरोधाभासी निष्कर्ष दर्ज किए।

15. ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 18.02.2019 का आक्षेपित निर्णय और आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जा सकता है। वही अलग रखा गया है. अपील स्वीकार की जाती है. अपीलकर्ता जेल में

हैं. यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जा सकता है।

16. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय को तुरंत संबंधित अदालत को सूचित करे और रिकॉर्ड वापस भेजे।

(**लोकपाल सिंह, जे.**)

15.01.2021